न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री मती रीना छिम्पा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 09/2019

1. शिव भगवान उर्फ राकेश कुमार पुत्र पृथ्वीराज जाति जाट निवासी 31एफ अरायण तहसील श्री करणपुर ।

--वादी--

बनाम

1. शंकर लाल पुत्र पृथ्वीराज जाति जाट निवासी 31एफ अरायण तहसील श्री करणपुर ।
2. भंवर लाल पुत्र अनन्त राम जाति जाट भादू निवासी चक 2एन एम ठाकररूवाला, पंचायत बडोपल तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
3. लालचन्द पुत्र अनन्त राम जाति जाट भादू निवासी चक 2एन एम ठाकररूवाला, पंचायत बडोपल तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
4. रणवीर पुत्र अनन्त राम जाति जाट भादू निवासी चक 2एन एम ठाकररूवाला, पंचायत बडोपल तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
5. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार श्री करणपुर।

--प्रतिवादीगण--

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए,136 एलआरएक्ट

--निर्णय--

दिनांक : 19/8/2019

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 31 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2072 ता 75 के खाता स. 40/39 के मु.न. 11,12,13,24,56/4,56/6 व 56/10 की कुल 12.849 हैक्टर नहरी मय खाल में से कुल 6.400 हैक्टर नहरी भूमि मय खाल भूमि वादी व उसके भाई शंकरलाल के नाम बहिस्सा बराबर बतौर खातेदार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त जमाबन्दी में वादी के नाम उक्त रकबा जरिए वसीयत नामान्तरण संख्या 428 दिनांक 07.01.2019 वादी के नाम दर्ज हुआ है। वादी का वास्तविक नाम शिव भगवान पुत्र पृथ्वीराज जाति जाट निवासी 31 एफ अरायण तहसील श्री करणपुर है। वादी के आधार कार्ड संख्या 812547108912, चालक अनुज्ञा पत्र संख्या आरजे 13-19960012118 में वादी का वास्तविक नाम शिव भगवान पुत्र पृथ्वीराज अंकित है। वादी के नाम के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत 32 एफ अरायण द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया गया है। उक्त जमाबन्दी में वादी का नाम राकेश कुमार पुत्र पृथ्वीराज है तथा अन्य तमाम दस्तावेज में वादी का नाम शिव भगवान पुत्र पृथ्वीराज होने के कारण वादी को हर समय पेरशानी का सामना करना पडता है। सम्बन्धित विभाग में अपने दो नाम होने के सम्बन्ध में एवं अपनी पहचान बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत करना पडता है इस कारण वादी उक्त जमाबन्दी में अपना नाम राकेश कुमार उर्फ शिव भगवान घोषित करवान चाहता है। वादी ने इस सम्बन्ध में दिनांक 28.01.2019 को तहसीलदार राजस्व श्री करणपुर के पक्ष में लिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपना नाम संशोधित करवाना चाहा तो तहसीलदार साहब द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष उक्त वाद पत्र प्रस्तुत करने की हिदायत दी गई इस कारण वादी राजस्व प्रविष्ठियों में संशोधन हेतु वाद प्रस्तुत करने का अधिकारी है। वाद पत्र में वादी ने राज्य सरकार से अनुतोष चाहा हैं। अन्य शेष खातेदारन के विरूद्व कोई अनुतोष नही मांगा है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 वाद सम्पति के संयुक्त खातेदार है इस कारण उनको वाद में बतौर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 पक्षकार संयोजित किया गया है। वाद पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है। अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि चक 31 एफ तहसील श्री करणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2072 ता 75 के खाता संख्या 40/39 में वादी राकेश कुमार पुत्र पृथ्वीराज जाति

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

... निवासी 31 एफ का नाम राकेश कुमार उर्फ शिव भगवान पुत्र पृथ्वीराज जाति जाट भादू ... 31 एफ घोषित किए जाने के आदेश प्रदान करे।

... प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब ... प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 की ओर से अधिवक्ता श्री सुभाष गरूड़ा उपस्थित आए। व ... पर अंकित किया कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 की ओर से जवाब दावा पेश नही करना ... है। राजपैरोकार के द्वारा जवाब स्टेट पेश किया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 की ओर से जवाब ... पेश नही किया गया है इसलिए वाद बिन्दू कायम की आवश्यकता नही है। वादी अधिवक्ता ... शपथ पत्र बाबत साक्ष्यवादी पेश किया। ब्यान लिए गये। साक्ष्यवादी बन्द की गई। प्रतिवादी अधिवक्ता के द्वारा साक्ष्य प्रतिवादी पेश नही करने पर साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की गई।

बहस सुनी गई प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस में वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए, वाद पत्र स्वीकार हेतु निवेदन किया। प्रतिवादी अधिवक्ता को वादपत्र पर कोई एतराज नही है।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। चक 31 एफ तहसील श्री करणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2072 ता 75 के खाता संख्या 40/39 में वादी राकेश कुमार पुत्र पृथ्वीराज जाति जाट भादू निवासी 31 एफ का नाम राकेश कुमार उर्फ शिव भगवान पुत्र पृथ्वीराज जाति जाट भादू निवासी 31 एफ अंकित किए जाने बाबत निवेदन किया है प्रार्थी के पहचान सम्बन्धी दस्तावेज यथा आधार कार्ड, चालक अनुज्ञा पत्र, सरपंच ग्राम पंचायत अरायण का प्रमाण पत्र में नाम शिव भगवान पुत्र पृथ्वीराज अंकित है। जमाबन्दी में नाम राकेश कुमार पुत्र पृथ्वीराज अंकित है। सहखातेदार प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को वादपत्र पर कोई एतराज नही है। वादी का वादपत्र स्वीकार योग्य है।

उपरोक्त तथ्यो के विवेचन एवं पत्रावली में साक्ष्य सबूत के आधार पर वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर चक 31 एफ तहसील श्री करणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2072 ता 75 के खाता संख्या 40/39 में अंकित नाम राकेश कुमार पुत्र पृथ्वीराज जाति जाट भादू निवासी 31 एफ के स्थान पर राकेश कुमार उर्फ शिव भगवान पुत्र पृथ्वीराज जाति जाट भादू निवासी 31 एफ अंकित किए जाने के आदेश दिए जाते है। इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुतर रहेगे। उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री इस आश्य का जारी हो। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 19/8/2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

{श्री मती रीना छिम्पा आर.ए.एस.}
उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)
सत्यमेव जयते

Scanned by CamScanner